RCMS
2020/00020

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 36/सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2020		

यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी केसुदान पुत्र बन्नेदान जाति नायक निवासी धाःचारनान तहसील सुजानगढ जिला चूरू ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम धाः चारनान की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) में नया खाता खंख्या 76 पुराना खाता संख्या 73 में वादी का नाम केशवदान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो गलत है। वादी का नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार केसुदान है। वादी का नाम केसुदान किया जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का लोडसर व उपतहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई। उपतहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) में वादी का नाम केशवदान, जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र के अनुसार वादी का सही नाम केसुदान है, जो शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात तथा उपतहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम धाः चारनान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) जमाबंदी नया खाता संख्या 76 पुराना खाता संख्या 73 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	धाःचारनान	76/73	केसवदान पुत्र बन्नेदान जाति नायक निवासी धाःचारनान तहसील सुजानगढ जिला चूरू राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लोढसर	केसुदान पुत्र बन्नेदान जाति नायक निवासी धाःचारनान तहसील सुजानगढ जिला चूरू राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लोढसर

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.13 14:17:55 IST
Reason: SelfAttested